न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी आर.ए.एस
अपील संख्या 238/2017 एल आर एक्ट (GCMS No 2017/00066)
अनवान धनपत बनाम श्रवण कुमार वगैरह
अपील विरूद्व आदेश– उपखण्ड अधिकारी नोहर जिला हनुमानगढ दिनांक 12.05.2017

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्म की तामील में जारी हुऐ
05.10.2021	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से श्री विजय कुमार पारीक जरिये वकालतनामा उपस्थित। श्री विजय कुमार पारीक ने दिनांक 07.09.2021 को प्रार्थना पत्र मय अपीलान्ट धनपत का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट धनपत का देहान्त हो गया है। अपील को खारिज की जावे। अभिभाषक अपीलान्ट को आवाज लगवाई गई बावजूद आवाज के उपस्थित नही होने पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 के अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2021 पर बहस कर कहा कि अपीलान्ट धनपत की देहान्त दिनांक 20.05.2021 को हो गया है। उसके जायज वारिसान पहले से रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 के रूप में रिकॉर्ड पर है। इसके अलावा उनके और कोई वारिस नही है, इसलिए अपील अबेट व सारहीन हो चुकी है, अपील को खारिज की जावे। हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात तथा बहस पर मनन किया। अपीलान्ट धनपत फौत हो चुका है। उसके अभिभाषक अनुपस्थित है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 के अभिभाषक का कथन है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 के अलावा उसके और कोई जायज वारिसान नही है। अतः अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में तथा सारहीन हो होने से खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाकर पत्रावली बाद तरतीब,तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अति.संभागीय आयुक्त बीकानेर	